भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 439
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा रिफंड पोर्टल

439. **श्री चिन्तामणि महाराजः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है;
(ख) यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत भुगतान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सहारा रिफंड पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के निवेशकों को रिफंड के लिए आवेदन करने में आसानी हो; और
(घ) क्या सरकार का राज्य या ज़िला स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं.191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि:

"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.
(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well

as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके वैध धनराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया गया है । संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है जिसे न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है ।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान और जमाराशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है । वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से 50,000/- रुपए तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है ।

इसके अलावा, पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में उन्हें इन कमियों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें दिनांक 15.11.2023 को लॉन्च हो चुकी "री-सबमिशन पोर्टल" के माध्यम से अपना आवेदन पुन: प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है । सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मंत्रालय सभी संभावी कदम उठा रहा है । दिनांक 25.11.2025 तक प्राप्त आवेदनों और भुगतान का राज्य-वार ब्योरा संलग्न है ।

वर्तमान में "सहारा रिफंड पोर्टल" में कोई तकनीकी खराबी नहीं है । सहारा रिफंड पोर्टल के कार्यकरण की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है । तकनीकी खराबी, यदि कोई हो, तो उसे तकनीकी टीम द्वारा उसी समय ठीक कर दिया जाता है ताकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के निवेशकों को रिफंड के लिए आवेदन करने में सुविधा सुनिश्चित हो सके ।

(घ) जी नहीं, मान्यवर ।